न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 33/2026 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2026/74**
दायर दिनांक :– 19.02.2026 **निर्णय दिनांक :– 20.04.2026**

01. राधा पत्नी शैतानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
02. शारदा पत्नी श्रवण कुमार जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थीगण–

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
02. रोशनी पत्नी रामरख जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
03. बाबू पत्नी भगवानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार, बाप
3. श्री दुलीचंद मेगवाल अधि. अ.सं. 2 ता 3

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी संख्या 1 खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1260/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, प्रार्थी सं. 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1258/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1257/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर व अप्रार्थी सं. 3 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1259/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर सरहद मौजा नेंवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जमाबन्दी संवत् 2076–2079 व नक्शा ट्रेस सलंग्न पेश है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना–अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 ने अपने हिस्से की भूमि रहवासीय ढाणियां, पानी टांके व पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। लेकिन वर्तमान में पटवारी हल्का ने बिना किसी विधिक आदेश एवं मौका का भौतिक सत्यापन किये की अपनी ऑफिस में बैठे–बैठे प्रार्थीगण से बाले–बाले एवं प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

1260/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1258/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1257/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1259/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर भूमि की नक्शा ट्रेस में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के कब्जा एवं काश्त के विपरीत करदी है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध है। जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 का मोके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। इसलिये ग्राम नेंवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1260/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1258/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1257/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1259/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर भूमि के नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 के कब्जा काश्त के विपरीत विधि विरूद्ध तरीके से की गई तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 की और से अधिवक्ता श्री दुलीचंद मेगवाल ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1260/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1258/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1257/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1259/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर भूमि के नक्शा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के कब्जा काश्त के विपरित विधि विरूद्ध तरीके से की गई तरमीम को निरसत किया जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जाती है तो हमे किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1260/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1258/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1257/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1259/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने भी इकबालिया जवाब पेश कर कब्जा

Satya...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने का कथन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.02.2026 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1260/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1258/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1257/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1259/1241 रकबा 5.8238 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.02.2026 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)